मध्यप्रदेश शासन

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 29.08.2018

क्र. एफ 16-15/2018/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स वर्धमान यार्न लि. सतलापुर जिला रायसेन स्थित यूनिट क्रमांक-7 विस्तार एवं आधुनिकीकरण अंतर्गत तकनीकी उन्नयन परियोजना इन्टेन्शन टू इन्वेस्ट क्रमांक CIE- 7201 पूंजी निवेश ₹ 207.32 करोड के प्रस्ताव पर निम्नानुसार विशेष सुविधाऐं दी जावे:-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग संवर्धन नीति 2014(यथा संशोधित 2017) प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता 7 वर्षो के लिए शर्तो के अध्याधीन दी जावे ।

2. **ब्याज अनुदान** - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) अनुसार टेक्टसटाईल्स उद्योगों के लिए विशेष वित्तीय सहायता अन्तर्गत भारत सरकार की टफ स्कीम में वस्त्र मंत्रालय के संकल्प क्रमांक 6/4/2007-सी 71, नवम्बर, 2007 में वर्णित अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये गये टर्म लोन पर ब्याज अनुदान शर्तो के अध्याधीन दी जावे ।

3. **विद्युत शुल्क से छूट** - नवीन अथवा विद्यमान विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये जाने वाले अतिरिक्त विद्युत भार पर 33 केव्ही कनेक्शन के लिए 5 वर्षो की अवधि तक 132 केव्ही कनेक्शन के लिए 7 वर्षो की अवधि तक एवं 220 केव्ही कनेक्शन के लिए 10 वर्षो की अवधि तक विद्युत शुल्क से छूट दी जावे ।

4. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - नवीन एवं विद्यमान विद्युत कनेक्शन पर परियोजना हेतु लिये गये अतिरिक्त भार को रू. 5.00 प्रति यूनिट की स्थिर दर पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो तक विद्युत उपलब्ध करायी जावे। परन्तु यह रियायत 31 मार्च, 2027 के पश्चात् देय नही होगी । संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) मध्यप्रदेश ट्रायफेक से अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकेगी ।

5. **प्रशिक्षण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति** - परियोजनाओं में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों (नियमित एवं कान्ट्रेक्ट कर्मचारियों सहित) को 4 माह तक 50% वेतन की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 1 लाख तक की जावे। यह एकीकृत स्वीकृति प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये 2 करोड़ की सीमा में होगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों के लिये देय होगी। इस प्रकार इस मद में अधिकतम रूपये 10 करोड़ के व्यय की एकीकृत प्रतिपूर्ति सभी 3 निवेश परियोजनाओं (क्रमांक CIE-6976, CIE-7201 एवं CIE-14278) को मिलाकर की जा सकेगी। यह सहायता इन 3 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु ही देय होगी ।

6. **स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से मुक्ति-** परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बुदनी जिला सीहोर एवं ग्राम सतलापुर, जिला रायसेन में मेसर्स वर्धमान टेक्सटाईल लि. अथवा/ और समूह के आधिपत्य की भूमि प्रवर्तित कंपनियों/ अनुषांगिक कम्पनी/ सहयोगी कम्पनी/ एस.पी.व्ही/ नवीन कम्पनी के बीच अमलगेशन/ मर्जर/ एक्वीजेशन/ हस्तांतरण के फलस्वरूप भूमि के अंतरण/क्रय के लिखत पर देय स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क एवं अन्य प्रभारित की प्रतिपूर्ति उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जावे।

7. **हरित औद्योगिकीकरण हेतु सहायता-** उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानों के अध्याधीन 50% पूंजी अनुदान अधिकतम रूपये 25 लाख होगी।

8. ग्रुप कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

29/8/18

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16-15/2018/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 29.08.2018

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला रायसेन
6. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स वर्धमान टेक्सटाईल लि., चंडीगढ़ रोड, लुधियाना-141010, पंजाब।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग